जनपद हमीरपुर

थाना-राठ **दिनांक 06.07.2026**

थाना राठ पुलिस टीम द्वारा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी से सम्बन्धित मु0अ0सं0 203/2026, धारा 420/406/467/468/471/504/506 आईपीसी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.06.2026 को वादी अजीत कुमार राठौर, प्रतिनिधि महादेव मिल्क इंडस्ट्रीज, पुत्र श्री सुनहरी लाल, निवासी मोहल्ला गोपालपुरा, थाना शमशाबाद, जनपद आगरा द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली राठ पर मु0अ0सं0 203/2026, धारा 420/406/467/468/471/504/506 आईपीसी बनाम 1. रामनरेश पुत्र करन सिंह, 2. माधुरी पत्नी रामनरेश निवासीगण ग्राम पुरैनी, थाना जलालपुर, जनपद हमीरपुर एवं 3. श्रीमती माधुरी, प्रोपराइटर बुन्देलखण्ड डेरी फूड्स/बुन्देलखण्ड डेरी प्रोडक्ट्स प्रा.लि. के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर वांछित अभियुक्त **रामनरेश पुत्र करन सिंह** को थाना कोतवाली राठ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

रामनरेश पुत्र करन सिंह, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी ग्राम पुरैनी, थाना जलालपुर, जनपद हमीरपुर। हाल पता – बुन्देलखण्ड डेयरी फूड्स प्रोडक्ट्स, निकट अम्बेडकर चौराहा, उरई रोड, कस्बा एवं थाना राठ, जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

निरीक्षक देवेन्द्र कुमार मिश्रा, थाना कोतवाली राठ, जनपद हमीरपुर।